33

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र०

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R/257-III/06

ज्ञानवती पत्नी रामशंकर उम्र 65 वर्ष पेशा घरूकाम

2- पुष्पेन्द्र कुमार उम्र 27 वर्ष

3- प्रहलाद प्रसाद उम्र 42 वर्ष

4- पुष्पराज प्रसाद उम्र 18 वर्ष

5- विभीषण प्रसाद उम्र 38 वर्ष

6- रामनिवास उम्र 40 वर्ष

समस्त पेशा खेती पुत्रगण रामशंकर ब्रा० सभी निवासी ग्राम महरी तह० सिरमौर जिला रीवा, म०प्र० --- आवेदकगण

बनाम

गौरी शंकर तनय परमेश्वरराम दुबे निवासी ग्राम बंधवा तह० मऊगंज जिला रीवा, म०प्र० --- अनावेदक

श्री के.के. द्विवेदी अभिभाषक द्वारा आज दि० 17-7-06 को प्रस्तुत।

अवर सचिव राजस्व मंडल म० प्र० ग्वालियर

17-7-06 K.K. Dwivedi Advocate

निगरानी बिरुद्ध आदेश अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्र०क्र० 101/अपील/04-05 दिनांक 19-5-06

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र०भू०रा०सं० 1959ई०

=============================

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्नलिखित है-

1:- यह कि आधीनस्थ न्यायालय ने विधि एवं प्रक्रिया के बिरुद्ध निर्णय देने मे भूल किया है।

2:- यह कि आधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस बात पर बिचार नहीं किया है कि अनावेदक ग्राम महरी मे भूमि तर्क सकूनत कर ग्राम बंधवा

क्रमशः 2...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1257–दो /06 जिला –रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
9-9-16	आवेदक के अधिवक्ता श्री के0 के0 द्विवेदी उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा प्रकरण कमांक 101/अपील/04–05 में पारित आदेश दिनांक 19.5.06 के विरूद्ध इस न्यायालय म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की है। 2– प्रकरण का सारांश यह है कि आवेदक ने संहिता की धारा 44(1) के तहत अधिनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जहां पर अपील को सारहीन मानते हुये निरस्त की गई है। इससे दुखी होकर अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत की जो स्वीकार की गई इससे व्यथित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक के अधिवक्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया, उनका तर्क था कि आवेदक एवं	

अनावेदक कमांक-1 सगे भाई हैं तथा अनावेदक कमांक-2 रमाशंकर की पत्नी तथा शेष उनके पुत्र हैं। विवादित आराजी 1/2 आवेदक व 1/2 अनावेदक कमांक-1 की है। दिनांक 16.6.84 को अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अनावेदक कमांक -1 ने नामांतरण करा लिया और पुनः 1996 में 2 तक 6 के मध्य नामांतरण करा दिया। आवेदक ने न तो किसी प्रकार की सहमति दी थी और न ही उसे सूचना दी गई जब आवेदक ने कोई सहमति ही नहीं दी तो नामांतरण किये जाने का कोई प्रश्न ही नहीं था। लेकिन अनावेदक कमांक-1 ने अपने पुत्रों के नाम नामांतरण करा दिया, तथा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। अनावेदक का यह कहना कि स्टाम्प पेपर में लिखकर दिया था लेकिन यह स्टाम्प पेपर न्यायालय में पेश नहीं किया गया है। बाद में जब स्टाम्प पेपर देखा गया तो उसमें आवेदक के हस्ताक्षर का भाग फटा हुआ है। अनुमान के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित किया हे जो विधिसंगत नहीं होने से निरस्त किया जाय।

4- अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि आवेदक गौरीशंकर बड़े भाई हैं तथा अनावेदक कमांक-1 छोटा हे वह खेती बाडी

करता हे उभयपक्ष के पिता परमेश्वरराम की मृत्यु के बाद वारिसाना के आधार पर आवेदक के नाम हुआ। जब अनावेदक कमांक–1 को जानकारी हुई तो पंचायत बुलाई और आवेदक ने स्वीकार किया कि गलत हुआ है। अपने नाम करा लें हमें कोई आपत्ति नहीं है। दिनांक 16.6.84 से 26.6.03 तक के नामांतरण का कोई विवाद नहीं है। रमाशंकर की मृत्यु के पश्चात विवद उत्पन्न हुआ। दिनांक 15.11.84 को किया गया नामांतरण वैद्य है इस नामांतरण की अपील आवेदक ने प्रस्तुत नहीं की थी पंजी फाड दी गयी । आवेदक को कोई लाभ नहीं दिया जा सकता है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक की निगरानी निरस्त की जाकर अनावेदक को न्यायदान दिलाया जावे।

5– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। अध्ययनोपरांत यह पाया गया कि दिनांक 16.6.84 को आवेदक व अनावेदक के पिता के बीच हिस्सा बांट का आदेश पारित किया गया था उसमें जरिये आपसी हिस्साबांट पुल्ली दिनांक 22.6.82 का आधार लेते हुये प्रतिवादी/अपीलार्थी रजामंद हैं तथा जमीन रमाशंकर को दे चुका हे जिसका लेख स्टाम्प पर पुल्ली बटवारा देखा के

आधार पर आदेश पारित किया गया है। लेकिन इस पंजी के साथ न तो दिनांक 22.6.82 की पुल्ली संलग्न है ओर न ही गौरीशंकर व रमाशंकर के हस्ताक्षर बने हैं। इससे यह आदेश अपमे आप त्रुटिपूर्ण हो जाता है। यह प्रमाणित है गौरीशंकर व अनावेदक सगे भाई थे। और सभी आराजियों पर 1/2, 1/2 के भूमिस्वामी थे। अधीनस्थ न्यायालय का यह कहना था कि मूल पंजी में आवेदक के हस्ताक्षर थे उस स्थान को काटकर हटाया गया है। इसलिये अपर आयुक्त द्वारा दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि प्रकिया से परे होने के कारण निरस्त किये जाने में कोई भूल नहीं की है और उनके द्वारा दोनों न्यायालयों के आदेश निरस्त किये हैं । अतः मैं अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के आदेश दिनांक 19.5.06 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझता हूँ। अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। प्रकरण दा0 दर्ज हो।

सदस्य